राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3564/2024

हंसराज गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, सेठ मालीराम अग्रवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, Rundar, आमेर, जयपुर।
5. सुप्रभात सेन, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर सेठ मालीराम अग्रवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, Rundar, आमेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.12.2024

आदेश की दिनांक : 19.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम कम्प्यूटर अध्यापक के पद पर सेठ मालीराम अग्रवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, रूंदर, आमेर, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 एवं 21.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। उनका कथन है कि उक्त विद्यालय में कम्प्यूटर अध्यापक की पद रिक्त है, फिर भी उसे अधिशेष घोषित किया गया है।

अपीलार्थी का चयन साक्षात्कार के द्वारा हुआ था और उसे पदस्थापित किया गया, परंतु बिना किसी कारण के अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 एवं 21.11.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम कम्प्यूटर अध्यापक के पद पर सेठ मालीराम अग्रवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, रूंदर, आमेर, जयपुर में कार्यरत है। परंतु ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य